न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–136/2022 तारीख रजु 23.06.2022

जीसीएमएस आई0डी0:–2022/358

मुरारी पुत्र नेतराम उम्र 50 साल जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

——सायल

बनाम

1. करनसिंह
2. रेखसिंह
3. प्रभुदयाल
4. लाखनसिंह

} पिसरान बीघाराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

5. संतोष पुत्र रामरतन जाति जाटव निवासी जटनंगला तहसील सूरौठ
6. बिजेन्द्र पुत्र फौदी जाति जाटव निवासी सकूलपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:–1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 8-5-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 4332/3298 रकबा 33 ऐयर वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

बाका दिनांक 16.06.2022 को सुबह 10 बजे सायल अपनी आराजी की सार संभाल कर रहा था कि गैरसायलान स0 1 ता 4 गैरसायल स05 व 6 को अपने साथ लेकर आऐ एवं कहने लगे कि हमने इस भूमि में आबादी बाबत भूखण्ड बनाने का निश्चय किया है। इसलिये तुम इस भूमि को राजी खुशी हमे दे दो, अन्यथा हम जबरन इसमें भूखण्ड बनाकर उनका बेचान करेगें और तुमने जबरन कब्जा भी ले लेंगे। सायल ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। और सायल की भूमि को जबरन हडपने को आमदा है इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसुवे [illegible]याब हो गये, तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्र[illegible] इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नही हो सकेगी जबकि गैरसायलान का पांबद [illegible]माने से उन्हे कोई [illegible] किसी भी प्रकार की नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 4332/3298 रकबा 33 ऐयर स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ से सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायल की भूमि में जबरन रिहायशी भूखण्ड नहीं बनाऐ। कोई निर्माण नहीं कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक सायल पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 6 की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः—

1. मद न0 1 में दावा पेश होना स्वीकार है। लेकिन सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. मद न0 2 में खातेदारी होना स्वीकार है।
3. दरखास्त का मद न0 3 अस्वीकार है। सारी बाते गलत दर्ज की है। गैरसायलान ने कभी कोई धमकी बगैरहा नहीं दी। सायल का अलग खेत है। सायल व गैरसायलान के मध्य दोनो खसरा न0 4332/3298 व 4333/3298 के मध्य पुख्ता दीवार बनी हुई है।
4. मद न0 4 अस्वीकार है। सायल ने नई बात लिखकर यह कहा कि सायल की भूमि में गैरसायलान भूखण्ड बना रहे है। वह गलत है। जब गैरसायलान का सायल की जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है व मध्य मे डौल हो रही है।
5. मद न0 5 गलत होने से अस्वीकार है। सायल ने दर0 गलत पेश की है। सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल के पक्ष में बखुबी साबित है।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073—76 खाता संख्या 199 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:51 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से

ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 4332/3298 रकबा 33 ऐयर स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ से सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायल की भूमि में जबरन रिहायशी भूखण्ड नहीं बनाऐ। कोई निर्माण नहीं कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक सायल पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

गैरसायलान वकील ने लिखिल बहस पेश की गयी जो इस प्रकार है कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध हैरान व परेशान करने की गरज से एक गलत मुकदमा किया है। किसी भी प्रकार का मौके पर कोई विवाद नहीं है। सायल व गैरसायलान अपने अपने हिस्से को शांति पूर्वक काश्त कर रहे है। तथा मौके पर सायल व गैरसायलान के मध्य में पक्की बाउण्ड्री बाल हो रही है। इस कारण सायल व गैरसायलान का जमीन तोडने व उस पर कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सायल गैरसायलान को नाजायज तौर पर दबाना चाहता है। तथा गैरसायलान की पक्की बाउण्ड्री को तुंडवा कर उसमें से जमीन लेना चाहता है। दिनांक 08.01.2021 को माननीय न्यायालय से सायल व गैरसायलान के मध्य दावा बंटवारे का डिक्री हुआ था। उक्त डिक्री के आधार पर तहसीलदार सूरौठ ने मौके पर जाकर सायल गैरसायलान के मध्य पुख्ता दीवार का निर्माण करवा दिया तथा अलग अलग खसरा न0 कायम हो गये। लेकिन सायल स्टे की आड में गैरसायलान की जमीन में होकर उनके मकानों के उपर से बिजली की लांईन निकलवाना चाह रहा है। स्टे से गैरसायलान को भयभीत कर रखा है। गैरसायलान ने इसका विरोध किया तो गैरसायलान से झण्डा करने को तैयार हो गया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि गैरसायलान उसके खसरा न0 में से भूखण्ड काट रहे है, यह बात कतई गलत व निराधार लिखी है। सायल ही उक्त अपनी आराजी में से भूखण्ड काट कर रिहायशी प्लाट बेच रहा है। और स्टे की आड में गैरसायलान की जमीन को जबरदस्ती दबाना चाहता है। इसीलिये सायल का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। महज हैरान परेशान करने की गरज से झूंठा मुकदमा किया है। सायल मुकदमा करने का शुरू से ही आदी रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2073-76 खाता संख्या 199 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ में सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है,

गैरसायलान का विवादित आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायल ने पूर्व में बंटवारा होना बताया है। विवादित आराजी में गैरसायलान द्वारा जबरदस्ती बिजली के पोल निकालना सायल द्वारा बताया गया है। इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 23.06.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 4332/3298 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 8-4-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 8/4/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:51 IST
Reason: SelfAttested